मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 की धारा 39 के अधीन की अधिसूचना

क्रमांक 7027 -10894-82-क्ष-1, दिनांक 25 नवम्बर, 1982 – मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 (क्रमांक 39 सन् 1982) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5686-10894-82-क्ष-1, दिनांक 16 सितम्बर, 1982 एवं 5789-10894-82-क्ष-1; दिनांक 21 दिसम्बर, 1982 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम क्रमांक (1) में वर्णित अधिकारी तथा व्यक्ति के सम्बन्ध में, उसके (सारणी के) कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारी तथा उक्त सारणी के कालम (3) में वर्णित शर्त के अध्यधीन रहते हुये, उक्त धारा के प्रयोजन के लिये अधिसूचना अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है –

सारणी

अनु-क्रमांक	अधिकरी या व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट की जानी है	निर्देश देने के लिये सक्षम अधिकारी	वह अधिकारी जिससे कालम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकरी द्वारा पूर्व सहमति/अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिला स्तर के अधिकारी के रैंक से निम्न रैंक का अधिकारी	उस जिले का, जिसमें अपराध किया गया है, कलेक्टर।	
2.	जिला स्तर के अधिकारी के रैंक का अधिकारी	उस संभाग का, जिसमें अपराध किया गया है, आयुक्त	
3.	जिला स्तर के अधिकारी के रैंक से उपर के रैंक का ऐसा अधिकारी जो सचिवालय के बाहर पदस्थ है।	यथास्थिति, शासन के उस विभाग का, जिसमें कालम क्र.	
4.	ऐसा अधिकारी जो सरकार में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, उप-सचिव या अवर सचिव के रूप में अभिहित हो अथवा स्थानीय प्राधिकारी का	राज्य सरकार	

	या लोग उपक्रम का सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात है ।		
5.	उच्च न्ययालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय का ऐसा अधिकारी जो रजिस्ट्रार से भिन्न् है और न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के रूप में अभिहित अधिकरी जो राज्य न्यायिक सेवा का है ।	उच्च् न्यायालय का रजिस्ट्रार	उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्
6.	उच्च् न्यायालय का रजिस्ट्रार	उच्च् न्यायालय	
7.	विधान सभा सचिवालय का ऐसा अधिकारी जो सचिव, विशेष सचिव, उपसचिव या अवर सचिव के रूप में अभिहित है।	राज्य सरकार	विधानसभा अध्यक्ष की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात्
8.	विधान सभा सचिवालय का ऐसा अधिकारी जो अनुक्रमांक 7 में वर्णित अधिकरी से भिन्न है।	सचिव, विधान सभा	अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्रापत करने के पश्चात्
9.	लोक आयुक्त तथा उप-लोकआयुक्त के कार्यालय का अधिकारी ।	लोकायुक्त	
10.	लोक सेवा आयोग का सचिव, उपसचिव या अवर सचिव।	राज्य सरकार	लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सहमति अभिप्रापत करने के पश्चात्
11.	लोक सेवा आयोग का ऐसा अधिकारी जो अनुक्रमांक 10 में विर्णित अधिकारियों से भिन्न हैं।	सचिव, लोक सेचा आयोग	लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्
12.	राजसव मंउल अथवा श्रम अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य	राज्य सरकार	-
13.	ऐसा कोई व्यक्ति(जिसके (एक) यदि अनुक्रमांक 1 से अंतर्गत ठेकेदार आता है) 12 तक के कालम (1) में		
	जो उपर अुनक्रमांक 1 से 12	वर्णित किसी अधिकारी या	

	तक के सामने की प्रविष्टियों में से किसी भी प्रविष्टि के अंतर्गत न आता हो।	व्यक्ति के साथ सहयुक्त् हो तो वही अधिकारी, जो कालम से संबंधति अनुक्रंमांक की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है। (दो) यदि अनुक्रमांक 1 से 12 तक के कालम (1) में वर्णित किसी अधिकरी या व्यक्तियों में से किसी के साथ सहयुक्त न हो, तो उस संभाग का, जिसमें अपराध किया गया है, आयुक्त	

टिप्पणी

(1) ऐसे मामलों के संबंध जिनमें अधिनियम के अधीन किसी अपराध में विभिन्न स्तरों के एक से अधिक अधिकारी अंतर्वलित हों, तो मंजूरी/अनुज्ञा ऐसे अधिकारी द्वारा दी जायेगी जहो उच्चतम स्तर के अधिकरी के सम्बन्ध में ऐसी मंजूरी देने के लिये सक्षम है और ऐसी मंजूरी समस्त अन्तर्वलित अधिकारियों के विरूद्ध उचित मंजूरी/अनुज्ञा समझी जायेगी।

(2) जिला स्तर के अधिकरी से अभिप्रेत है जिले का भारसाधक अधिकारी और उसके अंतर्गत आता है लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी विभाग तथा वन विभाग के मामले में संभाग का भारसाधक अधिकारी।